केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/94 दिनांक: 12.04.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00085
CICOM/R/2018/00268

अपीलकर्ता : श्री विश्वास मलिक,
35, अंजनि विहार, सदर बाजार,
सहारनपुर – 247001.
मो0 – 9997043850.

निर्णय की तारीख: 12.04.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	21.03.2018, 26.03.2018, 28.03.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री आर. एल. गुप्ता, श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.04.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	154/09.04.2018 (121803/06.04.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 03.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक (सी.आर.-1) द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है तथा प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि प्रदान की गई सूचना में बिंदु सं. 1 से संबंधित सूचना नहीं है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 से 4 तक से संबंधित सूचना श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक (सी.आर.-1) द्वारा दिनांक 21.03.2018 को एवं बिंदु सं. 1 से संबंधित सूचना श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2018 को तथा बिंदु सं. 2 से संबंधित सूचना श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक (सी.आर.-2) द्वारा दिनांक 26.03.2018 को प्रेषित की गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि श्री एस. सी. शर्मा एवं श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना अपीलकर्ता को प्राप्त नहीं हुई है, अतः अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री एस. सी. शर्मा एवं श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है । श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री एस. सी. शर्मा एवं श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C.I.C. ... आ० RECEIVED 12 APR 2018

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

12/04/18